भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1864
06 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वास्थ्य व्यय पर विश्व बैंक की रिपोर्ट

1864. श्री मुहम्मद हमदुल्ला सईद:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार निम्न आय वाले देशों (एलआईसी) और निम्न मध्यम आय वाले देशों (एलएमआईसी) में सरकारी स्वास्थ्य व्यय की प्रवृत्ति से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है कि विशेष रूप से प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय में गिरावट दर्ज किये जाने के बावजूद स्वास्थ्य व्यय यथावत रहे; और

(ग) भारत के राष्ट्रीय बजट में स्वास्थ्य व्यय को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): विश्व बैंक ने "गवर्मेंट हेल्थ स्पेंडिंग ट्रेंड्स थ्रू 2023, पीक्स, डिक्लांइस एंड माउंटिंग रिस्कस" शीर्षक से एक प्रकाशन प्रकाशित किया है। यह प्रकाशन 63 निम्न और निम्न-मध्यम आय वाले देशों (एलआईसी और एलएमआईसी) में सरकारी स्वास्थ्य व्यय (जीएचएस) के रुझान को प्रस्तुत करता है।

भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमानों के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में सरकारी स्वास्थ्य व्यय (जीएचई) 2014-15 में 1.13% से बढ़कर 2021-22 में 1.84% हो गया है। इसी अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय भी 1108 रुपये से बढ़कर 3169 रुपये हो गया है। कुल स्वास्थ्य व्यय टीएचई के प्रतिशत के रूप में जेबी खर्च (ओओपीई) में भी उल्लेखनीय गिरावट आई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों से स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु आवंटन को प्राथमिकता देने और हर साल अपने स्वास्थ्य बजट को कम से कम 10% बढ़ाने के लिए कहा है।

केंद्र सरकार ने जनता को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने और जेबी खर्च को कम करने के लिए राज्य के प्रयासों को पूरक बनाने के लिए कई पहल की हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, सरकार ने जनता को सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में राज्य सरकारों का सहयोग करके सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में कई कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार, स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों को चलाने के लिए पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पसेवित और वंचित समूहों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और पहुंच में सुधार के लिए सहयोग प्रदान करता है। आवश्यक दवाओं और नैदानिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने और जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर जाने वाले रोगियों के जेबी खर्च को कम करने के लिए राष्ट्रीय निःशुल्क दवा सेवा पहल और निःशुल्क निदान सेवा शुरू की गई है।

इस संबंध में, सरकार ने मिशन मोड परियोजनाएं शुरू की हैं, अर्थात् प्रधान मंत्री -आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम), आयुष्मान आरोग्य मंदिर (तत्कालीन एबी-एचडब्ल्यूसी) और प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई)।

पीएम-एबीएचआईएम को प्राथमिक, माध्यमिक और विशिष्ट स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों की क्षमता बढ़ाने, मौजूदा राष्ट्रीय संस्थानों को सुदृढ़ करने तथा नई और उभरती बीमारियों का पता लगाने और उनका इलाज करने के लिए नए संस्थान बनाने के मिशन के रूप में शुरू किया गया था। पीएम-एबीएचआईएम एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें कुछ केंद्रीय क्षेत्र घटक शामिल हैं और इसका परिव्यय 64,180 करोड़ रुपये है।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मौजूदा उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को परिवर्तित कर 22 नवंबर 2024 तक कुल 1,75,180 आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) स्थापित और संचालनरत किए जा चुके हैं। एएएम का उद्देश्य व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की विस्तारित श्रृंखला प्रदान करना है जिसमें निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक, उपशामक और पुनर्वास सेवाएं, प्रजनन और बाल परिचर्या सेवाएं, संक्रामक रोग, गैर-संक्रामक रोग तथा सभी स्वास्थ्य समस्याएं भी शामिल हैं, जो सार्वभौमिक, निःशुल्क और समुदाय के पहुँच में हैं।

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) द्वितीयक और विशिष्ट परिचर्या अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर 12.37 करोड़ परिवारों के लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को प्रदान करता है, जो भारत की आबादी का सबसे निचला 40% हिस्सा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में पीएम जेएवाई के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आय पर ध्यान दिए बिना स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दी है।

इसके अलावा, राज्य सरकारों के सहयोग से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत सभी को किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। कुछ अस्पतालों/संस्थानों में किफायती दवाइयाँ और उपचार के लिए विश्वसनीय इम्प्लांट (अमृत) फ़ार्मेसी स्टोर स्थापित किए गए हैं।

******